

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व बाद संख्या :- 37 / 2017

दायर तारीख :- 03.05.2017

1. रामधन पुत्र पन्ना जाती रैगर निवासी मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। — वादी

बनाम

1. गोविन्द राम पुत्र गिरधारी लाल जाती रैगर निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर
2. सुमन देवी पत्नी श्रवण जाती खटीक निवासी मैड तहसील विराटनगर
3. रामचन्द्र पुत्र महादेव जाती मीणा निवासी श्यामपुरा, तहसील विराटनगर
4. देवेन्द्र } पुत्रान धूणीलाल जाती मीणा निवासी श्यामपुरा
5. नरेन्द्र } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. रिछपाल } पुत्रान मामराज जाती माली निवासी श्यामपुरा
7. प्रभूदयाल } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
8. हजारी लाल पुत्र जवाहर जाती माली निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर
9. चन्दाराम पुत्र सरदारा जाती माली निवासी खेडा तहसील विराटनगर
10. मोहन लाल } पुत्रान कन्हैयालाल मेहरा जाती कीर निवासी बड की ढाणी
11. श्रवण लाल } तन मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
12. गौतम प्रकाश } पुत्रान ब्रम्हज्ञान जाती अरोडा निवासी मैड
13. पुरुषोत्तम } तहसील विराटनगर
14. केशरी देवी पत्नी ग्यारसीलाल
15. उमराव } पुत्रान ग्यारसीलाल
16. कृष्ण } जाती माली निवासी पीथेश्वर
17. गणेश } मंदिर के पास मैड
18. बनारसी } पुत्रीयान ग्यारसीलाल
19. सुशीला } तहसील विराटनगर
20. गीता }
21. छोटी }
22. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री चिरंजी लाल, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार



निर्णय

निर्णय दिनांक 14.03.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 874/1305/0.10 हैक्टेयर के हिस्सा 176/1000 की खातेदारी वादी के नाम तथा शेष की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उभय पक्षकारान ने आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अपने-अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है। राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 का नाम शामिल भूमि में दर्ज होने का फायदा उठाकर वादी के हिस्से में मजाहमत पैदा करने लगे हैं। अतः आराजी मुतनाजा का सरस-नरस के सिद्धान्त पर बंटवारा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से पृथक-पृथक खातेदारी राजस्व रिकार्ड में किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 874/1305/0.10 हैक्टेयर का विधिक बंटवारा किया जाकर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2069-2072, नकल नक्शा ट्रेस पेश की गई।
4. उभय पक्षकारान द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प पूरावाला दिनांक 10.07.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा से कुर्रजात रिपोर्ट मंगवाने पर सहमति प्रदान की है।
5. प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर के द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौका कब्जा एवं


रिकार्ड के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 29.12.2017 को पेश की गई।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073-2076 ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 874/1305/0.10 हैक्टेयर की खातेदारी हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है। आराजी मुतनाजा में वादी का 176/1000 हिस्सा है। प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पूरावाला दिनांक 10.07.2017 को उपस्थित हुए अर्थात् प्रतिवादीगण को प्रकरण की पूर्ण जानकारी हुई है, लेकिन बाद सुनवाई उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में उभय पक्ष लोक अदालत में राजीनामा से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाकर प्रकरण का निस्तारण करने पर सहमती प्रदान की, जिस पर प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौका कब्जा एवं रिकार्ड के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो पक्षकारों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार है।
8. वादीगण ने अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	रामधन पुत्र पन्ना जाती रैगर	874/1357/ 0.0176 हैक्टे.
2	गोविन्दराम पुत्र गिरधारीलाल जाती रैगर हिस्सा 55/824, सुमन पत्नी श्रवणराम खटीक हिस्सा 19/824, रामचन्दर पुत्र महादेव हिस्सा 4166/82400, देवेन्द्र, नरेन्द्र पिता धूणीलाल मीणा हिस्सा 8333/82400,	874/1305/ 0.0750

	प्रभूदयाल पुत्र मामराज, हजारीलाल पुत्र जवाहर, ग्यारसीलाल पुत्र छींतरमल हिस्सा 625/8240, चन्दाराम पुत्र सरदारा हिस्सा 12916/82400, रिछपाल पुत्र मामराज माली हिस्सा 9588/82400, मोहनलाल, श्रवणलाल पिता कन्हैयालाल कीर हिस्सा 8437/82400, गौतमप्रकाश, पुरुषोत्तम पिता ब्रम्हज्ञान हिस्सा 2531/8240	874/1358/ 0.0074
---	--	---------------------

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले हिस्सा एवं खसरा नम्बर के विरुद्ध दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर का शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर



डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर, जयपुर

बइजलास :- मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

रामधन पुत्र पन्ना जाती रैगर निवासी मैड तहसील विराटनगर, जिला
जयपुर। — वादी

बनाम

1. गोविन्द राम पुत्र गिरधारी लाल जाती रैगर निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर
2. सुमन देवी पत्नी श्रवण जाती खटीक निवासी मैड तहसील विराटनगर
3. रामचन्द्र पुत्र महादेव जाती मीणा निवासी श्यामपुरा, तहसील विराटनगर
4. देवेन्द्र } पुत्रान धूणीलाल जाती मीणा निवासी श्यामपुरा
5. नरेन्द्र } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. रिछपाल } पुत्रान मामराज जाती माली निवासी श्यामपुरा
7. प्रभूदयाल } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
8. हजारी लाल पुत्र जवाहर जाती माली निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर
9. चन्दाराम पुत्र सरदारा जाती माली निवासी खेडा तहसील विराटनगर
10. मोहन लाल } पुत्रान कन्हैयालाल मेहरा जाती कीर निवासी बड की ढाणी
11. श्रवण लाल } तन मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
12. गौतम प्रकाश } पुत्रान ब्रम्हज्ञान जाती अरोडा निवासी मैड
13. पुरुषोत्तम } तहसील विराटनगर
14. केशरी देवी पत्नी ग्यारसीलाल
15. उमराव } पुत्रान ग्यारसीलाल
16. कृष्ण } जाती माली निवासी पीथेश्वर
17. गणेश } मंदिर के पास मैड
18. बनारसी } पुत्रीयान ग्यारसीलाल
19. सुशीला } तहसील विराटनगर
20. गीता }
21. छोटी }
22. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 37/2017 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रुबरु श्री चिरंजीलाल एडवोकेट व हाजरीमिन जानिब मुद्दई रुबरु पैरोकार सरकार कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 874/1305/0.10 हैक्टेयर का विधिक बंटवारा किया जाकर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। **सुना गया।** वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधनों अनुसार बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	रामधन पुत्र पन्ना जाती रैगर	874/1357/ 0.0176 हैक्टे.
2	गोविन्दराम पुत्र गिरधारीलाल जाती रैगर हिस्सा 55/824, सुमन पत्नी श्रवणराम खटीक हिस्सा 19/824, रामचन्दर पुत्र महादेव हिस्सा 4166/82400, देवेन्द्र, नरेन्द्र पिता धूणीलाल मीणा हिस्सा 8333/82400, प्रभूदयाल पुत्र मामराज, हजारीलाल पुत्र जवाहर, ग्यारसीलाल पुत्र छींतरमल हिस्सा 625/8240, चन्दाराम पुत्र सरदारा हिस्सा 12916/82400, रिछपाल पुत्र मामराज माली हिस्सा 9588/82400, मोहनलाल, श्रवणलाल पिता कन्हैयालाल कीर हिस्सा 8437/82400, गौतमप्रकाश, पुरुषोत्तम पिता ब्रम्हज्ञान हिस्सा 2531/8240	874/1305/ 0.0750 874/1358/ 0.0074

